



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129]  
No. 129]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 1993/चैत्र 10, 1915  
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 1993/CHAITRA 10, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय  
(पत्तन पक्ष)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1993

सा.का.नि. 354 (अ):- केन्द्रीय सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा 6 के साथ पठित उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित तालिका में क्रम संख्या 1 से 11 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को जवाहर लाल नेहरू पत्तन के न्यासी मंडल में न्यासी नियुक्त करती है तथा उक्त तालिका में क्रम सं. 12 से 15 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त मंडल में चुने गए न्यासियों के रूप में अधिसूचित करती है :-  
तालिका

| 1   | 2 | 3  |
|---|---|--|
| 1. अध्यक्ष  |   | —  |
| 2. उपाध्यक्ष  |   | —  |
| 3. सचिव शहरी विकास विभाग महाराष्ट्र सरकार                 |   | महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए |
| 4. सीमा शुल्क आयुक्त न्हावा शेवा समुद्र पत्तन, पत्तनयूरान |   | सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए |

| 1   | 2 | 3   |
|---|---|---|
| 5. संयुक्त सचिव (पत्तन) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय                                     |   | जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए                       |
| 6. फ्लैग अफसर कमान, महाराष्ट्र क्षेत्र के चीफ स्टाफ अधिकारी                         |   | रक्षा सेवाओं (नौसेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए                         |
| 7. प्रमुख आगगायात भाड़ा अधीक्षक मध्य रेलवे, बम्बई                                   |   | भारतीय रेल का प्रतिनिधित्व करने के लिए                                    |
| 8. प्रमुख अधिकारी वाणिज्यिक नौवहन विभाग, बम्बई                                      |   | वाणिज्य नौवहन विभाग बम्बई का प्रतिनिधित्व करने के लिए                     |
| 9. डा. शान्ती जी पटेल   |   | पत्तन के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए                             |
| 10. श्री जय प्रकाश एच सावंत   |   | पत्तन के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए                             |
| 11. प्रबंध निदेशक सिटी एंड इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लि. (सिडको) |   | सिड-को का प्रतिनिधित्व करने के लिए  |
| 12. श्री निमेश शाह  |   | बम्बई कस्टम हाउस एजेंट एसोसिएशन, बम्बई का प्रतिनिधित्व करने के लिए        |
| 13. श्री दिनेश के लाल   |   | बम्बई चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए          |
| 14. श्री वैशनव पुरी   |   | बम्बई-न्हावा शेवा शिप इन्टर-मोडल एजेंट्स एसो. का प्रतिनिधित्व करने के लिए |
| 15. बी एस. पी. मोहिल्ले   |   | भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए               |

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1993 से लागू होगी।

[फाइल सं. पी.टी.-18011/1/91-पी टी.]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 31 March, 1993

G.S.R. 354 (E):—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 11 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Jawaharlal Nehru and notifies the persons mentioned against serial numbers 12 to 15 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board namely:—

TABLE

| 1   | 2 | 3   |
|---|---|---|
| 1. Chairman   |   | ..  |
| 2. Deputy Chairman                                  |   | ..  |
| 3. Secretary,                                       |   | Representing State Govt. of Maharashtra.    |
| Urban Development Deptt. Government of Maharashtra. |   |   |
| 4. Collector of Customs,                            |   | Representing Deptt. of Customs,             |
| Nhava Sheva Sea Port, Port Uran.                    |   |   |
| 5. Joint Secretary (Ports)                          |   | Representing Ministry of Surface Transport. |
| Min. of Surface Transport.                          |   |   |

| 1  | 2 | 3  |
|--|---|--|
| 6. Chief Staff Officer to Flag Officer Commanding Maharashtra Area.                              |   | Representing Defence Services (Navy).  |
| 7. Chief Freight Traffic Superintendent Central Railway, Bombay.                                 |   | Representing Indian Railways.  |
| 8. Principal Officer Mercantile Marine Deptt., Bombay.   |   | Representing Mercantile Marine Deptt., Bombay.   |
| 9. Dr. Shanti G. Patel   |   | Representing labour employed in the Port.  |
| 10. Sh. Jaiprakash H. Sawant   |   | Representing labour employed in the Port.  |
| 11. Managing Director, City & Industrial Development Corporation of Maharashtra Limited (CIDCO). |   | Representing City & Industrial Development Corporation of Maharashtra Limited (CIDCO). |
| 12. Shri Nimesh Shah   |   | Representing Bombay Customs House Agents Association, Bombay.                          |
| 13. Shri Dinesh K. Lal   |   | Representing Bombay Chamber of Commerce & Industry.                                    |
| 14. Shri Vaishnav Puri   |   | Representing Bombay-Nhava Sheva Ship Inter-Model Agents Association.                   |
| 15. Shri S.P. Mohile   |   | Representing Indian National Shipowners Association (INSA).                            |

2. This notification shall come into force on the 1st day of April 1993.

[File No. PT-18011/1/91-PT]  
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1993

सा.का.नि. 355 (अ) :- केन्द्र सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए टूटीकोरिन पत्तन के न्यासी मंडल में निम्न-लिखित तालिका में क्रम सं. 1 से 11 के सम्मुख उल्लिखित व्यक्तियों को नियुक्त करती है। तथा उक्त तालिका में क्रम सं. 12 से 15 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त बोर्ड में चुने हुए न्यासियों के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

#### तालिका

| 1   | 2 | 3   |
|---|---|---|
| 1. अध्यक्ष  |   | ---   |
| 2. उपाध्यक्ष  |   | ---   |
| 3. सचिव, परिवहन विभाग तमिलनाडु सरकार।                         |   | तमिलनाडु राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए।       |
| 4. प्रभागीय रेलवे प्रबन्धक, मदुरई, दक्षिणी रेलवे              |   | भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए।               |
| 5. उच्च-केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क सम्महर्ता, टूटीकोरिन। |   | सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए।           |
| 6. नौ सेना प्रभारी अधिकारी, मद्रास                            |   | रक्षा सेवाओं (नौसेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए।      |
| 7. उप वित्तीय सलाहकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय                |   | जल भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए।    |
| 8. श्री डी.एम. स्टीफन   |   | पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |

| 1   | 2 | 3   |
|---|---|---|
| 9. श्री एस. ब्रह्मराजसम   |   | पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।                      |
| 10. मुख्य अभियंता, टूटीकोरिन थर्मल पावर, टूटीकोरिन                |   | तमिऴनडु विद्युत बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।                           |
| 11. कार्यकारी निदेशक, सदरन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन, लि. |   | सदरन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।      |
| 12. श्री सी. स्टेनिस मकैडो  |   | भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।                 |
| 13. श्री जे.पी. जो विल्लावरय्यार                                  |   | टूटीकोरिन सेलिंग वेसल्स ऑनर्स एसो. टूटीकोरिन का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।    |
| 14. श्री ए. कृपानिधि  |   | इंडियन चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री टूटीकोरिन का प्रतिनिधित्व करने के लिए । |
| 15. श्री टी. वेलसंकर  |   | टूटीकोरिन स्टीवेडोर्स एसो. का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।                      |

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1993 से लागू होगी ।

[फा.सं. पी टी.-18011/2/92-पी.टी.]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, 31st March, 1993

G.S.R. 355 (E):—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) read with Sub-Section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 11 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Tuticorin and notified the persons mentioned against serial numbers 12 to 15 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely :—

#### TABLE

| 1   | 2 | 3  |
|---|---|--|
| 1. Chairman   |   | ..   |
| 2. Deputy Chairman  |   | ..   |
| 3. Secretary,<br>Transport Deptt. Govt. of Tamilnadu.                             |   | Representing State Govt. of Tamilnadu.                                   |
| 4. Divisional Railway Manager,<br>Madurai, Southern Railway.                      |   | Representing Indian Railways.  |
| 5. Deputy Collector of Central Excise and Customs,<br>Tuticorin.                  |   | Representing Customs Deptt.  |
| 6. Naval Officer-in-Charge, Madras.   |   | Representing Defence Services (Navy).                                    |
| 7. Dy. Financial Adviser,<br>Min. of Surface Transport.                           |   | Representing Ministry of Surface Transport.                              |
| 8. Shri D.M. Stephen  |   | Representing labour employed in the Port.                                |
| 9. Shri S. Arunachalam  |   | Representing labour employed in the Port.                                |
| 10. Chief Engineer,<br>Tuticorin Thermal Power,<br>Tuticorin.                     |   | Representing Tamilnadu Electricity Board (TNEB).                         |
| 11. Executive Director,<br>Southern Petrochemical Industries Corporation,<br>Ltd. |   | Representing Southern Petro-Chemical Industries Corporation Ltd. (SPIC). |

| 1                              | 2 | 3   |
|--------------------------------|---|---|
| 12. Shri C. Stains Machado     |   | Representing Indian National Shipowners Association (INSA).               |
| 13. Shri J.P. Joe Villavarayar |   | Representing the Tuticorin Sailing Vessels Owners Association, Tuticorin. |
| 14. Shri A. Kripanidhi         |   | Representing Indian Chamber of Commerce and Industry, Tuticorin.          |
| 15. Shri T. Velsankar          |   | Representing Tuticorin Stevedores Association.                            |

2. This Notification shall come into force on the 1st day of April, 1993.

[F. No. PT-180011/2/92—PT]  
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1993

सा.का.नि. 356 (अ) :-केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित तालिका में क्रम संख्या 1 से 11 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को नव-मंगलूर पत्तन के न्यासी मंडल में न्यासी नियुक्त करती है तथा उक्त तालिका में क्रम संख्या 12 से 13 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त मंडल में चुने गए न्यासियों के रूप में अधिसूचित करती है :-

### तालिका

| 1   | 2 | 3  |
|---|---|--|
| 1. अध्यक्ष  |   |  |
| 2. उपाध्यक्ष  |   |  |
| 3. पत्तन का निदेशक, आई. डब्ल्यू. टी, कारवाड   |   | कर्नाटक राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए                          |
| 4. अपर आयुक्त सीमा शुल्क नव-मंगलूर  |   | सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए                       |
| 5. नेवल प्रभारी अधिकारी नव-मंगलूर नेवीगेशन एंड डायरेक्शन स्कूल, आई.एन.एस. बेनदूरथी, नेवल वेस कोचीन। |   | रक्षा सेवाओं (नौ सेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए।                |
| 6. प्रभागीय रेल प्रबंधक पालघाट दक्षिण रेलवे   |   | भारतीय रेल का प्रतिनिधित्व करने के लिए।                            |
| 7. निदेशक (श्रम) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय  |   | जल भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए।               |
| 8. श्री लक्ष्मी नारायण राव  |   | पत्तन में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।            |
| 9. श्री एन.एम. अद्यान्तया   |   | पत्तन में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।            |
| 10. महाप्रबंधक, भारतीय तेल निगम, दक्षिणी क्षेत्र, मद्रास  |   | भारतीय तेल निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए।                       |
| 11. निदेशक (उत्पादन एवं परियोजना) कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लि.                                       |   | कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए।           |
| 12. श्री आर.बी. नादकरणी   |   | इंडियन नेशनल शिपमार्ज एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए।        |
| 13. श्री सी.के. सोमासुन्दर  |   | कनारा चेंम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए। |

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1993 से प्रभावी होगी।

[फा.सं.पीटी-18011/1/92-पीटी]  
अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 31 March, 1993

G.S.R. 356 (B)—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) read with Sub-Section (6) of the Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 11 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of New Mangalore and notified the persons mentioned against serial numbers 12 to 13 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely :—

TABLE

| #   | 2   | 3   |
|-----|---|---|
| 1.  | Chairman  |   |
| 2.  | Deputy Chairman   |   |
| 3.  | Director of Ports,<br>I.W.T., Karwar  | Representing State Government of Karnataka.                   |
| 4.  | Additional Collector of Customs,<br>New Mangalore.  | Representing Deptt. of Customs.                               |
| 5.  | Naval Officer-in-Charge,<br>New Mangalore Navigation & Direction<br>School, INS Vendurthy, Naval Base,<br>Cochin. | Representing Defence Services (Navy).                         |
| 6.  | Divisional Railway Manager,<br>Palghat Division,<br>Southern Railway.   | Representing Indian Railways.                                 |
| 7.  | Director (Labour),<br>Min. of Surface Transport.  | Representing Ministry of Surface Transport.                   |
| 8.  | Sh. Laxmi Narayana Rao  | Representing labour employed in the Port.                     |
| 9.  | Sh. N.M. Advanthisa   | Representing labour employed in the Port.                     |
| 10. | General Manager,<br>Indian Oil Corporation,<br>Southern Region, Madras.   | Representing Indian Oil Corporation (IOC).                    |
| 11. | Director (Production & Projects),<br>Kudremukh Iron Ore Company Ltd.,<br>(KIOCI).                                 | Representing Kudremukh Iron Ore Company Ltd.<br>(KIOCE).      |
| 12. | Sh. R.B. Nadkarni   | Representing Indian National Shipowners Association<br>(INSA) |
| 13. | Sh. C.K. Somasundar   | Representing Kanara Chamber of Commerce and Industry.         |

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1993.

[File No. PT-18011/1/92—PT]

ASHOK JOSHI, Jt. Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1993

सा. का. नि. 357(अ):—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (ii) के प्रावधानों के अनुसरण में एतद्वारा नव मंगलूर पत्तन के लिए न्यासियों के मंडल में प्रतिनिधित्व करने के लिए निकाय के नाम में संशोधन करती है तथा भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की दिनांक 28-1-93 की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 37(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना की तालिका में क्रम सं. 2 के सामने "कर्नाटक चैम्बर आफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री" शब्दों के स्थान पर "कनारा चैम्बर आफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. पी. टी. 18011/1/92 पी. टी.]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1993

G.S.R. 357(E).—In pursuance of provisions of sub-clauses(ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Ports Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby amend the name of the Body to represent on the Board of Trustees for the Port of New Mangalore Port and makes the following amendment in the notification of Govt. of India in the Ministry of Surface Transport (ports Wing) G.S.R. 37(E) dated 28-1-1993, namely :—

In the said notification against serial no. 2 in Table for the words "Karnataka Chamber of Commerce and Industry" the words "Kanara Chamber of Commerce and Industry" shall be substituted.

[F. No. PT-18011|1|92-PT]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1993

सा. का. नि. 358(अ):—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा विशाखा-पत्तनम पत्तन न्यास के न्यासी मण्डल में "अन्य हितों" का प्रतिनिधित्व करने के लिए (1) श्री एन. वेंकटरमन रेड्डी और (2) श्री डी. श्रीनिवास राव को नियुक्त करती है और भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) के दिनांक 31 मार्च, 1992 की अधिसूचना संख्या

सा. का. नि. 391(अ) में निम्नलिखित और संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 17 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

"18. श्री एन. वेंकटरमन रेड्डी—"अन्य हितों" का प्रतिनिधित्व करने के लिए

19. श्री डी. श्रीनिवास राव—"अन्य हितों" का प्रतिनिधित्व करने के लिए"

[फा. सं. पी. टी. 18011/10/91-पी. टी.]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1993

G.S.R. 358(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), read with sub-section (6) of the said section, the Central Government hereby appoints (1) Shri N. Venkataramana Reddy and (2) Shri D. Srinivas Rao representing 'other Interests' on the Board of Trustees for the Port of Visakhapatnam and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 391(E) dated 31st March, 1992.

2. In the said notification after serial no. 17 and the entry relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted namely :—

"18. Shri N. Venkataramana Reddy—Representing 'Other Interests'.

19. Shri D. Srinivas Rao—Representing 'Other Interests'"

[F. No. PT-18011|10|91-PT]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1993

सा. का. नि. 359(अ):—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा पारादीप पत्तन के न्यासी मण्डल में भारतीय सेल निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए महाप्रबंधक (ई. आर.), भा. ते. नि. को नियुक्त करती है तथा भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की दिनांक 31-3-92 की अधिसूचना संख्या

सा. का. नि. 390 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या (12) के सामने "निदेशक (विपणन), भारतीय तेल निगम" शब्दों के स्थान पर "महाप्रबंधक (ई. आर.), भारतीय तेल निगम" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. पी. टी.—18011/9/91—पी. टी.]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1993

G.S.R. 359(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints General Manager (ER), IOC representing Indian Oil Corporation on the Board of Trustees for the Port of Paradip and makes the following amendment in the Notification of Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 309(E) dated 31-3-1992 namely :—

2. In the said notification against serial no. (12) for the words "Director (Marketing), Indian Oil Corporation" the words "General Manager (ER), Indian Oil Corporation" shall be substituted.

[F. No. PT.18011|9|91-PT]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली 31 मार्च 1993

सा. का. नि. 360(अ):—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा कांडला पत्तन न्यासी के मंडल में 'पत्तन में नियुक्त श्रमिकों' का प्रतिनिधित्व करने के लिए (1) श्री मनोहर जी. कोतवाल और (2) श्री एम. के. अश्वनी को नियुक्त करती है।

[फा. सं. पी. टी.—18011/6/91—पी. टी.]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1993

G.S.R. 360(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints (1) Shri Manohar G. Kotwal and (2) Shri M. K. Aswani representing 'Labour employed in the Port' on the Board of Trustees for the Port of Kandla.

[F. No. PT-18011|6|91-PT]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.